

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय को पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 जून 2009—आषाढ़ 1, शक 1931

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2009

क्र. आर. नं. 1799-07-सीसी-अड़तीस.—मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) अधिनियम, 1978 (क्रमांक 20 सन् 1978) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था अनुदान नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियम में, नियम 8 में, शब्द तथा अंक "मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती) नियम, 1979" के पश्चात्, शब्द तथा अंक 'अशासकीय शिक्षण संस्था पुनरीक्षित सहायक अनुदान नियम, 1979' जोड़े जाएं.

R. No. 1799-07-CC-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Ashasakiya Shikshan Sanstha (Anudan Ka Pradaya) Adhinyam, 1978 (No. 20 of 1978), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Ashasakiya Shikshan Sansthan Anudan Rules, 2008 namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules, in rule 8, after the words and figure "Madhya Pradesh Ashasakiya Shikshan Sanstha (Recruitment of teacher and other employees) Rules, 1979", the words and figure "Ashasakiya shikshan Sanstha Revised Sahayak Anudan Rules, 1979" shall be added.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सेवाराम, प्रमुख सचिव.